न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

225RTA2018-00297Ju2018-133 Chimansingh Vs Lrs of Likhamaram etc

---

चिमनसिंह पुत्र श्री लिखमाराम जी जाति माली, निवासी- मायली मण्डावता, जोधपुर।

अपीलाण्ट...

ब

ना

म

01. लिखमाराम पुत्र श्री हरलाल जी के कायम मुकामः -
    a. श्रीमती इन्द्रा देवी पुत्री लिखमाराम धर्मपत्नी श्री युधिष्ठिर भाटी जाति माली, निवासी- चैनपुरा, गांव मण्डोर, जोधपुर।
02. श्रीमती भंवरीदेवी पत्नी श्री लिखमाराम जी जाति माली, निवासी- मार्फत, युधिष्ठिर भाटी, चैनपुरा, गांव मण्डोर, जोधपुर। **(फौत होने से नाम डिलिट)**
03. अर्जुनसिंह पुत्र स्व. श्री हरलाल जी
04. चन्द्रमुकेश पुत्र स्व. श्री माणकसिंह जी
    समस्त जातियान् माली, निवासीगण- मायली मण्डावता, मण्डोर जोधपुर।
05. पुखराज देवड़ा पुत्र श्री प्रेमाराम जी जाति माली, निवासी मणाई तहसील व जिला जोधपुर।
06. ओमप्रकाश पुत्र श्री नत्थुरामजी
07. छंवरलाल पुत्र श्री नत्थुराम
08. सम्पतलाल पुत्र नत्थुराम
09. श्यामकुमार पुत्र श्री नत्थुराम समस्त जातियान् प्रजापत, निवासी- चैनपुरा, गांव मगरा पूंजला, मण्डोर, जोधपुर।
10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार जोधपुर तहसील व जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ आदेश सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक, जोधपुर दिनांक 22 मई 2018 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 308/2017 चिमनसिंह व अन्य बनाम लिखमाराम इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री भूपतसिंह जोधा, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री ओ.पी. जोशी, अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 1a 6 से 9

श्री धनपत चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 4

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री सुमेरसिंह सोलंकी अधिवक्ता-रेस्पो. सं. 5

नि र्ण य

दिनांक : 20 अक्टूबर, 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक जोधपुर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 308/2017 चिमनसिंह व अन्य बनाम लिखमाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 22 मई 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत 27 जुलाई 2018 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पत्रावली को केम्प कोर्ट में रखकर प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं देकर तथा उपरोक्त अनवानी के मुकदमें में पेशी की कोई सुचना नही देकर राजस्व केम्प माणकलाव में निर्णित कर भारी भूल की है। इस बिनाय पर अधीनस्थ न्यायालय का फैसला काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय करते समय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर कोई गौर नहीं फरमाकर भारी भूल की है। इस बिनाय पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने यह भली-भॉति साबित कर दिया कि ग्राम माणकलाव तहसील व जिला जोधपुर के सरहद में आई हुई खातेदारी भूमि खसरा नं. 462 रकबा 7.16 बीघा खसरा नं. 542 रकबा 48.08 बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

व खसरा नं. 543 रकबा 45.03 बीघा कुल रकबा 101.07 बीघा भूमि में प्रार्थीगण के निहित हिस्से पर उसका सामलाती कब्जा है। इस बाबत कथन पर कोई गौर नहीं फरमाकर भारी भूल की हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय न तो अपीलांट को सुना और न ही रेस्पोडेंट को सुना तथा न ही रेकर्ड का अवलोकन किया तथा बिना किसी आधार के पत्रावली निर्णीत कर भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह लिखा कि मुकदमा चार साल से विचाराधीन है और अस्थाई निषेधाज्ञा को प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया। यह कथन पूर्ण रूपेण विधि मान्य न्यायिक सिद्धांतों की खुलमखुला अवहेलना है। प्रार्थी न्यायालय में नियमित रूप से उपस्थित होता रहा। न्यायालय द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई नही हुई तो उसके लिए प्रार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो उपरोक्त अनवानी अपील में निर्णय पारित किया है, वह मात्र अपीलांट को आर्थिक रूप से परेशान करने की गरज से तथा न्याय के अधिकार से वंचित करने की गरज से किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के फैसला को देखने से साफ तौर से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अभियान के दौरान अपने निर्णय का अंक बढाने की गरज से अपीलांट के साथ अन्यायपूर्ण निर्णय पारित कर भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को भली भॉति नहीं समझकर भारी भूल की है। अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22 मई 2018 को खारिज फरमाया जाकर अपीलांट को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार फरमाये जाने का आदेश फरमावें।

जवाब में रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय के समक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु कोई प्रयास नहीं किये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार न्यायोचित एवं विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 14.02.2014 को प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित हुए। तत्पश्चात पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं हुई तथा मोहर लगाकर तारीखे तब्दील की गई। दिनांक 12.10.2017 को प्रत्यर्थी संख्या एक के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लिया जाकर **पुनः मोहरे लगाकर तारीखे तब्दील की गई तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.05.2018 नियत की गई। नियत पेशी से पूर्व ही पत्रावली दिनांक 27.04.2018 को पेश हुई तथा पत्रावली को कोर्ट केम्प में पेश करने हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.05.2018 नियत की गई, जिस पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर तक नहीं है।** जिसकी सूचना पक्षकारान् दिये जाने अथवा नोटिस जारी किये जाने का उल्लेख पत्रावली पर नजर नही आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना उसकी अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायलाय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/प्रार्थी को आवश्यकता होने पर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकने की अनुमति भी दी है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 22 मई 2018 को खारिज किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह उभय पक्ष की समुचित सुनवाई कर गुणावगुण पर विधिसम्मत आदेश पारित करें। पक्षकारान् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28 दिसंबर 2021 को उपस्थित रहे, तब तक अपीलाधीन विवादग्रस्त आराजी खसरा नं. 462 रकबा 7.16 बीघा खसरा नं. 542 रकबा 48.08 बीघा व खसरा नं. 543 रकबा 45.03 बीघा कुल रकबा 101.07 बीघा ग्राम माणकलाव तहसील जोधपुर का बेचान/हस्तांतरण नहीं करे। ।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया। 20/12/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर